संख्या 27/11/2011-एस0 आर0 (एस0)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

लोक नायक भवन, तीसरा तल,
खान मार्किट, नई दिल्ली. 110003
दिनांक 27 सितम्बर, 2011

आदेश 16(m)/2011

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद् द्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 09.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य या उत्तरांचल राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 09.11.2000 से ही अनंतिम रुप से सेवा कर रहा हो, को, उत्तरवर्ती उत्तराखण्ड राज्य यथास्थिति, 09.11.2000 से सेवा के लिए अन्तिम रुप से आबन्टित समझा जायेगा ।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रद्द होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आबंटन न्यायालय के अन्तिम आदेश के अधीन होगा ।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्टित नहीं समझा जायेगा।

परन्तु संबंधित सेवा/पद के शेष बचे हुए कार्मिक जिनका अंतिम आबंटन उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य के लिए नहीं किया गया है तथा जो आदेश संख्या 27/9/2001-एस.आर.एस. दिनांक 11.9.2001 के द्वारा उत्तराखंड राज्य को आबंटित नहीं किए गए हैं, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश को अंतिम रुप से आबंटित समझे जायेगें जब तक कि नियमानुसार अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता ।

संलग्नक में निर्दिष्ट कार्मिकों का अंतिम आबंटन परामर्शी समिति की दिनांक 15.06.2011 को हुई बैठक की संस्तुतियों पर आधारित है ।

(के. पी. के. नंबीशन)
उप सचिव, भारत सरकार

संलग्नकः 1. अनुबंध (1 पृष्ठ में) उत्तराखंड राज्य में अन्तिम रुप से गृह (पुलिस) विभाग के 13 कार्मिकों की सूची ।

प्रतिलिपिः
1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।
3. श्री आर.एम. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, लखनऊ ।
4. प्रमुख सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग देहरादून।

Receipt & Issued Section
27 SEP 2011
जारी किया/ISSUED

विभाग गृह विभाग

आवंटित राज्य उत्तराखण्ड

क्र0सं0	कार्मिक का नाम एवं पदनाम तथा TFAL	प्रत्यावेदन में उल्लिखित बिन्दु	समिति की संस्तुति
1	2	3	4
1	श्री अशोक कुमार, मुख्य आरक्षी 288	पत्नी मानसिक रोगी	यह देखते हुये कि बार-बार निर्देश देने के बाद भी श्री अशोक कुमार द्वारा राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष पत्नी को उपस्थित न करने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए श्री अशोक कुमार को उत्तराखण्ड राज्य आवंटित किये जाने संस्तुति की गई।
1.	श्री अनिल कुमार राय, आरक्षी, 801	कैंसर रोग से पीड़ित आश्रित माता	बार-बार निर्देश देने के बाद भी श्री अनिल कुमार राय द्वारा राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष अपनी माता को उपस्थित न किये जाने के कारण समिति द्वारा श्री अनिल कुमार राय के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये उत्तराखण्ड राज्य आवंटी किये जाने की संस्तुति की गई।
2.	श्री सलाहउद्दीन खां, आरक्षी, 914	कैंसर रोग से पीड़ित आश्रित माता	यह देखते हुये कि कि बार-बार निर्देश देने के बाद भी श्री सलाहउद्दीन द्वारा राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष अपनी माता को उपस्थित नहीं किया जा रहा है, समिति द्वारा श्री सलाहउद्दीन खां के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये उत्तराखण्ड राज्य आवंटित किये जाने की संस्तुति की गई।
3.	श्री सुरजीत सिंह, आरक्षी, 953	मानसिक रोग से पीड़ित आश्रित पिता	यह देखते हुये कि कि बार-बार निर्देश देने के बाद भी श्री सुरजीत सिंह द्वारा राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष अपनी माता को उपस्थित नहीं किया जा रहा है, समिति द्वारा श्री सुरजीत सिंह के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये उत्तराखण्ड राज्य आवंटित किये जाने की संस्तुति की गई।
4.	श्री उदय प्रताप सिंह, आरक्षी 1015	मा. न्यायालय से उत्तरांचल न जाने हेतु स्थगनादेश प्राप्त	श्री उदय प्रताप सिंह, आरक्षी का नाम TFAL सम्मिलित है। उन्होने अपने प्रत्यावेदन में यह मिथ्या तथ्य अकित किया कि रिट याचिका संख्या 26623/2003 श्री अशोक कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार में याची है। परीक्षण करने पर स्पष्ट हुआ कि श्री सिंह प्रश्नगत रिट याचिका में याची हैं ही नही। अतः समिति द्वारा याची का प्रत्यावेदन अस्वीकृत करते हुये यह निर्देश दिया गया कि श्री सिंह द्वारा अपने प्रत्यावेदन में जो गलत तथ्य दिया गया है, उसके लिए इनका उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाय।
6	श्री मनोज कुमार, आरक्षी 2621	गोली लगने से पैर पूर्ण रूप से कार्य नहीं करता जिसके कारण चलने फिरने में कठिनाई	समिति द्वारा श्री मनोज कुमार के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये उत्तराखण्ड राज्य आवंटी किये जाने की संस्तुति की गई।
7	श्री सर्वेश कुमार, आरक्षी 2643	दाहिने हाथ में गोली लगने के कारण हाथ पूर्ण रूप से कार्य नहीं करता	समिति द्वारा श्री सर्वेश कुमार के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये उत्तराखण्ड राज्य आवंटित किये जाने की संस्तुति की गई।
8	श्री तेजवीर सिंह, आरक्षी 2895	पत्नी क्षय एवं कैंसर रोग से पीड़ित	समिति द्वारा श्री तेजवीर सिंह के अब कोई कार्यवाही नही चाहने के कारण प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये उत्तराखण्ड राज्य आवंटित किये जाने की संस्तुति की गई।
9	श्री लालता सिंह, आरक्षी 3144	उत्तराखण्ड मूल निवासी, विकल्प नहीं, कनिष्ठतम नहीं, स्वयं हृदय रोगी, इलाज एस0जी0पी0 जी0आई0 में जारी	बार-बार निर्देश देने के बाद भी श्री लालता सिंह द्वारा राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष स्वयं उपस्थित न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए श्री लालता सिंह को उत्तराखण्ड राज्य आवंटित किये जाने संस्तुति की गई।
10	श्री अब्दुल मन्नान खां, आरक्षी 3213	पत्नी शारीरिक एवं मानसिक रोग से पीड़ित जिसका इलाज गोरखपुर मेडिकल कालेज में जारी	यह देखते हुये कि बार-बार निर्देश देने के बाद भी श्री अब्दुल मन्नान खां द्वारा राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष पत्नी को उपस्थित नही किया जा रहा है, समिति द्वारा प्रत्यावेदन को

			अस्वीकृत करते हुए श्री अब्दुल मन्नान खां को उत्तराखण्ड राज्य आवंटित किये जाने संस्तुति की गई।
11	श्री दूध नाथ सरोज, आरक्षी 3685	वृद्ध एवं बीमार माता.पिता, 08 पुत्री पागलपन से ग्रसित, पत्नी स्त्रीजनित रोग से पीड़ित एवं बीमार।	बार-बार निर्देश देने के बाद भी श्री दूध नाथ सरोज द्वारा राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष अपने आश्रित को उपस्थित न किये जाने के कारण समिति द्वारा श्री दूधनाथ सरोज के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये उत्तराखण्ड राज्य आवंटित किये जाने की संस्तुति की गई।
12	श्री अब्दुल सत्तार आरक्षी, 3742	जनपद गाजियाबाद मूल निवासी/अविवाहित बहनों का उत्तरदायित्व/अस्वस्थ पत्नी/माता के ब्रेन हेमरेज का इलाज मेरठ में जारी।	बार-बार निर्देश देने के बाद भी श्री अब्दुल सत्तार द्वारा राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष अपनी माता को उपस्थित न किये जाने के कारण समि[illegible] द्वारा श्री अब्दुल [illegible] के प्रत्यावेदन को अस्वीकार करते हुये उत्तराखण्ड राज्य आवंटित किये जाने की संस्तुति की गई।
13	श्री शिवजीत बहादुर, आरक्षी 3805	पत्नी का इलाज एसजीपीजीआई में जारी	बार-बार निर्देश देने के बाद भी श्री शिवजीत बहादुर द्वारा राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष पत्नी को उपस्थिात न करने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए श्री शिवजीत बहादुर को उत्तराखण्ड राज्य आवंटित किये जाने संस्तुति की गई।